

20/11/24

पञ्जावली पेशा हुई

अपीलाण्ट भावजूद तामील के
न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
न ही उनके वकील उपस्थित हो रहे हैं।
इस प्रकार अपीलाण्ट पञ्जावली की पैरवी
करने हेतु बकालतन अथवा अस्तालतन
उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिस पर न्यायालय
द्वारा अपीलाण्ट को आवाजे लगवाई गई।
लेकिन अपीलाण्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं
हुए हैं ऐसी स्थिति में पञ्जावली अदम
राजरी अदम पैरवी में श्रादीज की जाती है।
पञ्जावली फोनल नुमार होकर दारिबल
दफ्तर हो।

अतिरिक्त संधागीय आयुक्त
पाली (राज.)